राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकल पीठ सिविल स्थानांतरण आवेदन संख्या 75/2022

मीता अग्रवाल पुत्री श्री मीनालाल अग्रवाल पत्नी श्री मनोज कुमार अग्रवाल, निवासी प्लॉट नंबर 2, सेक्टर-3, जवाहर नगर, जयपुर पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के माध्यम से पिता मीनालाल अग्रवाल, उम्र लगभग 75 वर्ष, निवासी हाउस नंबर 3, कलों का मोहल्ला, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाज़ार, जयपुर-302003।

---- अपीलार्थी

बनाम

1. हथरोइगारी गृह निर्माण सहकारी समिति, डी-20 मीरामार्ग, बनीपार्क, जयपुर श्री रामप्रताप पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सेन के माध्यम से।
2. कजोड़ सिंह, पुत्र उम्मेद सिंह, निवासी अर्जुन नगर, दुर्गापुरा, जयपुर।
3. सहायक अभियंता, राजस्थान सरकार विद्युत निगम मानसरोवर जयपुर।
4. राजमाता गायत्री देवी (मृत) पत्नी स्वर्गीय श्री मानसिंह जी, निवासी लिलीपूल, टोंक रोड, सी-स्कीम, जयपुर।
5. मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर., अध्यक्ष एवं निवेश किशोर मिष्ठान भंडार के पास पुलिस थाना सोडाला, जयपुर के माध्यम से।
6. जयपुर विकास प्राधिकरण, सचिव, जे.डी.ए. सर्कल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर ए-4, एसएमएस कॉलोनी, बी-ब्लॉक, दुर्गापुरा, महारानी फार्म मानसरोवर जयपुर के माध्यम से।
7. डिपेन्द्र सिंह उर्फ बन्ना पुत्र श्री बच्चन सिंह, निवासी 4-ए, एसएमएस कॉलोनी, बी-ब्लॉक, दुर्गापुरा, महारानी फार्म, मानसरोवर नाला के ऊपर, बनेठी हाउस, सिंघवी मार्बल के सामने, जयपुर।

---प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	**श्री संपत लाल सोनगरा**
प्रत्यर्थी की ओर से	:	**प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए श्री बजरंग लाल**

चौधरी की ओर से श्री पवन शर्मा

प्रत्यर्थी संख्या 3 के लिए सुश्री नीलम शर्मा

प्रत्यर्थी संख्या 6 के लिए श्री मानवेन्द्र सिंह

माननीय न्यायमूर्ति सुदेश बंसल

आदेश

13/10/2022

रिपोर्टेबल

1. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत यह स्थानांतरण आवेदन, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 9 की न्यायालय के समक्ष लंबित सिविल सूट संख्या 56/2020 (464/2012) (26/2014) के हस्तांतरण की मांग करते हुए दायर किया गया है। जयपुर मेट्रोपॉलिटन II, जयपुर को जयपुर मेट्रोपॉलिटन II, जयपुर प्रांत के भीतर समकक्ष क्षेत्राधिकार वाले किसी अन्य न्यायालय में।

2. अपीलार्थी-वादी ने कहा है कि घोषणा, कब्ज़ा, नुकसानी, अनिवार्य और स्थायी आदेश के लिए वर्तमान सिविल मुकदमा, वर्ष 2008 में शुरू किया गया था और जिसमें प्रत्यर्थियों द्वारा लिखित बयान दाखिल करने और मुद्दों को तय करने के बाद, दोनों पक्षों ने अपने सम्पूर्ण साक्ष्य पेश किए हैं। संपूर्ण साक्ष्य एवं वाद अंतिम सुनवाई के चरण में पहुंच गया है। इस स्तर पर, पीठासीन अधिकारी ने मुकदमे की सुनवाई और गुण-दोष के आधार पर निर्णय करने के बजाय, राय दी कि मुकदमे के मूल्यांकन के अनुसार, इसे कम आर्थिक क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय में भेजा जाना चाहिए और वादी को इस उद्देश्य के लिए एक आवेदन दायर करने के लिए कहा। जब वादी ने ऐसा कोई आवेदन दायर करने से इनकार कर दिया, तो पीठासीन अधिकारी ने प्रतिस्पर्धी प्रत्यर्थी नंबर 2 से ऐसा आवेदन दायर करने के लिए कहा। इसके बाद, प्रत्यर्थी नंबर 2 ने 10.08.2021 को आवेदन दायर कर प्रार्थना की कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की न्यायालय के पास वर्तमान मुकदमे को सुनने और तय करने का कोई आर्थिक क्षेत्राधिकार नहीं है। यह देखा जा सकता है कि ऐसी आपत्ति प्रत्यर्थी नंबर 2 द्वारा अपने लिखित बयान में या साक्ष्य के समापन से पहले किसी भी स्तर पर नहीं की गई थी। वादी ने उत्तर दाखिल किया और आवेदन का विरोध किया,

कि जब प्रारंभिक चरण में ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी, तो अब साक्ष्य पूरा होने के बाद, मुकदमे के अंत में, ऐसे आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने प्रत्यर्थियों के आवेदन पर संबंधित मुद्दा संख्या 4(के) तय किया क्षेत्राधिकार और दिनांक 17.08.2021 के तहत आदेश के माध्यम से वादी के विरुद्ध निर्णय लिया गया निचले आर्थिक क्षेत्राधिकार वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के लिए आदेश 7 नियम 10 सीपीसी के तहत मुकदमा वापस करने का आदेश दिया गया है ।

3. वादी ने दाखिल आदेश दिनांक 17.08.2021 का विरोध किया एकलपीठ उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल विविध अपील संख्या 1566/2021 दायर की। आदेश 04.01.2022 के तहत, उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 17.08.2021 को रद्द कर दिया और वर्तमान मुकदमे को उसके मूल नंबर पर बहाल करने का आदेश दिया और चार महीने की अवधि के भीतर मुकदमे का निपटारा करने का भी निर्देश दिया।

4. इसके बाद, वादी ने जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 9, जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध कुछ आरोप लगाए गए। मामले में पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल उठाया। आरोप यह था कि पीठासीन अधिकारी का प्रत्यर्थी नंबर 2 के साथ कुछ दूरस्थ संपर्क/सांठगांठ है और वह वादी के साथ पक्षपात करता है, इसलिए, वादी का उस न्यायालय से न्याय पाने का विश्वास खो गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने स्थानांतरण आवेदन का विरोध किया। विद्वान जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर ने आदेश दिनांक 22.03.2022 द्वारा स्थानांतरण आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद, अपीलार्थी-वादी ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान स्थानांतरण आवेदन दायर किया है।

5. प्रत्यर्थियों को स्थानांतरण आवेदन के नोटिस जारी किए गए थे। प्रत्यर्थी नंबर 2 ने स्थानांतरण आवेदन का उत्तर दाखिल किया है और स्थानांतरण की मांग के आधार से इनकार करते हुए, भारी जुर्माने के साथ स्थानांतरण आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की है। प्रत्यर्थी संख्या 3 और 6 ने भी स्थानांतरण आवेदन का उत्तर दाखिल किया है।

6. बहस के दौरान, इस न्यायालय ने अपीलार्थी के अधिवक्ता से उच्च न्यायलय के

समक्ष इस स्थानांतरण आवेदन को सुने जाए योग्य के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा क्योकि जिला न्यायाधीश द्वारा सीपीसी की धारा 24 के तहत उनके स्थानांतरण आवेदन को खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **मुन्नांगी रामकृष्ण राव बनाम डॉ. वानंकुरु वेंकट शिव रामकृष्ण प्रसाद [(2003) 2 एएन.डब्ल्यू.आर. 52] के मामले में दिए गए आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है,** जिसमें न्यायालय के समक्ष भी ऐसा ही प्रश्न उठा:

> क्या कोई पक्ष, जो स्थानांतरण याचिका में जिला न्यायालय के समक्ष असफल रहा था, संहिता की धारा 115 के तहत या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उस पर समवर्ती क्षेत्राधिकार के आधार पर सवाल उठाए बिना, फिर से धारा 24 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है...?"

प्रश्न पर विचार करते समय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत, उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय दोनों को सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत और धारा 439 सीआरपीसी के तहत नियमित जमानत देने की शक्तियां दी गई हैं। बहुत सारे मामले कानून से पता चलता है कि सत्र न्यायालय द्वारा खारिज की गई जमानत अर्जी, उच्च न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी पर विचार करने पर रोक नहीं लगाती है। इसके अलावा, पटना और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के पिछले निर्णयों पर भरोसा करते हुए, अंततः यह माना गया कि "इस प्रकार यह देखा गया है कि पटना और कलकत्ता उच्च न्यायालयों दोनों ने यह विचार किया है कि जिला न्यायालय के समक्ष एक असफल पक्ष उसी उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय में एक नया आवेदन दायर कर सकता है जिसका निहितार्थ यह है कि उसे धारा 115 सी.पी.सी. या संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत जिला न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी के आदेश पर सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, हमारा मानना है कि धारा 24 सी.पी.सी. के तहत एक याचिका ऐसी याचिका को जिला न्यायलय द्वारा खारिज करने के आदेश के बिना सीपीसी की धारा 115 के तहत या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रश्न किए जाने पर भी सुनवाई योग्य है। जिला न्यायालय द्वारा या तो धारा 115 सी.पी.सी. के तहत पूछताछ की जा रही है। या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत। तदनुसार बिंदु का उत्तर दिया गया है। प्रत्यर्थियों की ओर से इस निर्णय का कोई प्रतिवाद नहीं किया गया है। यह न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की राय से सहमत है।

7. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और रिकार्ड के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि वादी के मन में यह आशंका पैदा हो गई है कि पीठासीन अधिकारी मुकदमे का संचालन उचित और निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है और किसी न किसी कारण से प्रत्यर्थी नंबर 2 के इशारे पर प्रभावित होना प्रतीत होता है। यह दिखाने के लिए कि वर्तमान पीठासीन अधिकारी प्रत्यर्थी नंबर 2 से कैसे और किस तरह से प्रभावित हो सकता है और जाहिर तौर पर ऐसे कारण से, वह अंतिम सुनवाई के लिए आगे बढ़ने और मुकदमे का गुणागुण के आधार पर निर्णय करने के बजाय, रिकॉर्ड पर तथ्यों का विवरण देकर इस आशंका की पुष्टि की गई है। योग्यता के आधार पर, वादी को नुकसान पहुंचाने के लिए मुकदमे को मुकदमे के अंतिम चरण में वापस कर दिया, क्योंकि पीठासीन अधिकारी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि मुकदमा वापस करने के संबंध में एक न्यायिक अधिकारी द्वारा पारित आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है और मुकदमे को समयबद्ध अवधि के भीतर गुण-दोष के आधार पर समान सुनवाई और निर्णय लेने के निर्देश के साथ उसके मूल नंबर पर बहाल करने का आदेश दिया गया है।

8. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश क्रमांक 9, जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर के संबंधित पीठासीन अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 04.05.2022 के तहत इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2022 के अनुसरण में अपनी टिप्पणियाँ भेजी हैं और अपनी अनापत्ति व्यक्त की है यदि वाद को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है और शीघ्र कार्यवाही संचालित करने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण भी दिया है।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने ***प्रेम प्रकाश मिश्रा बनाम पुष्पा देवी सराफ बनाम जय नारायण परसरामपुरिया [एआईआर (1992) एससी 1133] और जे पी बंसल [(1998) आरएलडब्ल्यू 2 638], और कुलविंदर कौर बनाम कंडी फ्रेंड्स एजुकेशन ट्रस्ट [(2008) 3 एससीसी 659]के*** **मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है।**

10. **प्रेम प्रकाश मिश्रा (सुप्रा.)** के मामले में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने, उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, राय दी कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि किया जाना प्रतीत होना चाहिए। अपीलार्थी के लिए पीठासीन न्यायाधीश के विरूद्ध कोई निश्चित पूर्वाग्रह साबित करना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह पर्याप्त है यदि अपीलार्थी यह दिखा सके कि उसे वास्तविक आशंका है कि उसे उस न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा जिसमें उसका मामला लंबित है।

11. **पुष्पा देवी सराफ (सुप्रा.)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि वर्तमान याचिका में आरोप पर्याप्त नहीं हैं और स्थानांतरण के किसी भी आदेश की आवश्यकता नहीं है, फिर भी पीठासीन अधिकारी अपने विरूद्ध लगाए गए आरोपों से अनुचित रूप से प्रभावित हुए हैं और जो उनकी रिपोर्ट से स्पष्ट है, जिसमें उन्होंने न केवल अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया, बल्कि अपने द्वारा पारित आदेशों की व्याख्या की और उन्हें उचित भी ठहराया। उस स्थिति में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पीठासीन अधिकारी के हित में और इसी प्रकार न्याय के हित में, स्थानांतरण आवेदन की अनुमति दी।

12. **कुलविंदर कौर** (सुप्रा.) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानांतरण के लिए आधार के बारे में कुछ व्यापक प्रस्तावों पर निर्णय लेते हुए इस बात पर विचार किया कि जहां कोई है वादी के मन में उचित आशंका है कि जिस न्यायालय में मामला लंबित है, उसमें उसे न्याय नहीं मिल सकता है, अगर न्यायालय को लगता है कि वादी या प्रत्यर्थी को उस न्यायालय में निष्पक्ष सुनवाई होने की संभावना नहीं है, जहां से वह न्याय चाहता है किसी मामले को स्थानांतरित करने के लिए, मामले को स्थानांतरित करने का आदेश देना न केवल शक्ति है, बल्कि न्यायालय का कर्तव्य भी है।

13. यहां ऊपर चर्चा किए गए निर्णयों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि आमतौर पर यदि स्थानांतरण आवेदन संबंधित पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध झूठे, गंदे, दुर्भावनापूर्ण, निराधार और अनुचित आरोप लगाने के आधार पर किया जाता है तो इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और मामलों के स्थानांतरण की मांग करने की ऐसी प्रथा को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसकी निंदा की जानी चाहिए। फिर भी, यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपों की ऐसी प्रकृति के आधार पर स्थानांतरण आवेदन किसी भी परिस्थिति में विचार करने योग्य नहीं है, लेकिन उस विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद ऐसे आवेदन पर विचार किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध पक्षपातपूर्ण या पूर्व-निष्पक्ष होने के आरोपों के आधार पर स्थानांतरण आवेदनों पर विचार करने का अंतर्निहित उद्देश्य निष्पक्ष न्याय प्रदान करना है। पीठासीन अधिकारी की ओर से न्यायसंगतता और निष्पक्षता न्याय का अभिन्न अंग है। यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि संस्थान की छवि को बचाने के साथ-साथ न्यायिक अदालतों से न्यायसंगत, निष्पक्ष और वास्तविक न्याय प्राप्त करने में वादियों के विश्वास और विश्वास को बनाने/बनाए रखने के लिए, न्याय के हित में मामले को स्थानांतरित

करने की मांग की जाती है, उस स्थिति में, स्थानांतरण के लिए एक वास्तविक आवेदन पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही, झूठे, निराधार और अनुचित आरोपों पर आधारित आवेदन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय का घिसा-पिटा कानून है कि इस प्रकार के स्थानांतरण आवेदनों पर विचार करने की शक्ति है, लेकिन न्याय की उन्नति के अंतर्निहित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शक्तियों का उपयोग सावधानीपूर्वक और संयमित ढंग से किया जाना चाहिए। सद्भावनापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण आवेदनों के बीच अंतर करना हमेशा आवश्यक होता है। किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाना भी आवश्यक है, साथ ही किसी भी पीठासीन अधिकारी की किसी विशेष मामले में पक्षपातपूर्ण स्थिति के आधार पर किसी भी मामले को स्थानांतरित करने की मांग करने के मकसद और अंतर्निहित उद्देश्य की जांच करना भी आवश्यक है।

14. यहां ऊपर चर्चा किए गए कानून के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखा है। जहां तक अपीलार्थी-वादी द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 9, जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध वादी के साथ पक्षपात करने और प्रत्यर्थी संख्या 2 के प्रति पक्षपात करने के लगाए गए आरोपों का सवाल है, वे न तो ठोस हैं और न ही पर्याप्त सबूतों द्वारा प्रमाणित/समर्थित हैं। हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी ने किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से या किसी गुप्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्थानांतरण आवेदन दायर किया है। जिला न्यायाधीश के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष स्थानांतरण आवेदन पर सहमति न देने के बजाय विरोध करने के लिए प्रत्यर्थी नंबर 2 के लिए कोई औचित्य नहीं है। संबंधित पीठासीन अधिकारी ने भी अपने स्पष्टीकरण में अपनी अनापत्ति व्यक्त की है। इसलिए, अन्य कारकों पर विस्तार से चर्चा किए बिना, लेकिन यहां ऊपर चर्चा किए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय स्थानांतरण आवेदन की अनुमति देना न्यायसंगत और उचित मानता है क्योंकि यह दोनों पक्षों के हित में और संबंधित पीठासीन अधिकारी के हित में भी होगा। इसलिए, न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, वर्तमान स्थानांतरण आवेदन की अनुमति दी जाती है और वर्तमान सिविल मुकदमे को अंतिम सुनवाई और निर्णय के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 9, जयपुर मेट्रोपॉलिटन II, जयपुर के न्यायालय से समकक्ष क्षेत्राधिकार वाले किसी अन्य

न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है।

15. परिणामस्वरूप, स्थानांतरण आवेदन की अनुमति दी जाती है। जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर वर्तमान सिविल वाद संख्या 56/2020 (464/2012) (26/2014) को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 9, जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर से उसके प्रांत के भीतर समकक्ष क्षेत्राधिकार वाले किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करेगा।

16. रजिस्ट्रार (न्यायिक) को इस आदेश की एक प्रति जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर को अनुपालन हेतु भेजने का निर्देश दिया जाता है।

17. सभी लंबित आवेदन (यदि कोई हों) का भी निपटारा किया जाता है।

(सुदेश बंसल), न्यायमूर्ति

SACHIN/35

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।